

शिक्षा विभाग
बिहार सरकार
::आदेश::

पटना दिनांक—24/03/26

संचिका सं०-07/मु०-01-52/2026.....1142/माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-2190/2026, तारिक नदीम खुशतर एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक-10.02.2026 को पारित आदेश के आलोक में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2. सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-2190/2026, तारिक नदीम खुशतर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-10.02.2026 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

" ...8. Having considered the aforementioned submissions led by learned Advocate for the respective parties instead of keeping the matter pending, this Court deems it fit and proper to dispose off the writ petition with a direction to the Director, Primary Education, Government of Bihar, Patna to consider the representation(s) of the petitioners, preferably within a period of twelve weeks, from the date of receipt/production of a copy of this order. This Court also directs that the petitioners shall also submit fresh representation along with the order of this Court, within a period of four weeks.

9. On receipt of the representation(s), the respondent no. 3 shall take up the same and pass a reasoned and speaking order, in the light of the above referred decisions passed by the learned Division Bench in LPA No. 1699 of 2013 as well as CWJC No. 9416 of 2019 and CWJC No. 11300 of 2025, including the order contained in Memo No. 1790 dated 16.10.2024, whereby identically situated persons has been allowed the relief, as sought for in the writ petition.

10. The authorities shall also keep in mind the aims and object of the Bihar State Litigation Policy, 2011, especially Rule 4.C (1) thereof.

11. With the aforesaid direction, all the batch of writ petitions stand disposed off...."

3. उपरोक्त आदेश के आलोक में संदर्भित मामले में सुनवाई किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक-1043 दिनांक-14.03.2026 द्वारा दिनांक-16.03.2026 को सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष निरूपित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके आलोक में वादी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा Video conferencing के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित हुए।

4. सुनवाई के क्रम में वादीगण द्वारा अवगत कराया गया है कि वादीगण का नियोजन संबंधित नियोजन इकाई द्वारा बी.एड. योग्यताधारी अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप वर्ग-1-5 हेतु किया गया है। उक्त वादीगण में से कुछ वादी नियोजन के उपरांत बी.एड. पाठ्यक्रम पूर्ण किये। साथ ही उनके द्वारा नियोजन के उपरांत 6 माह का सेतु पाठ्यक्रम भी पूर्ण किया गया है। वादीगण का दावा है कि उनका मामला एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 से आच्छादित है तथा उक्त के समरूप एक अन्य वाद सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-9416/2019 में दिनांक-04.03.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक-1790 दिनांक-16.10.2024 निर्गत किया गया है। अतः वादीगण द्वारा उपरोक्त के आलोक में ही नियुक्ति तिथि अथवा बी.एड. पूर्णता की तिथि जो भी बाद में हो, से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान का दावा किया गया है।

R

V

5. आदेश ज्ञापांक-1790 दिनांक-16.10.2024 की विभागीय आंतरिक समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आयी कि वादी का मामला एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 के वादीगणों से भिन्न है। इन दोनों में कोई भी सदृश्यता नहीं है। सी०डब्लू०जे०सी० सं०-9701/2025 के वादीगण का नियोजन वर्ष 2007, 2012, 2013, 2014 एवं 2016 में बिहार राज्य पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006, नियमावली 2012 एवं संशोधन नियमावली 2014 के अंतर्गत किया गया जबकि एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 के वादीगणों की नियुक्ति वर्ष 1999 से 2005 के बीच बिहार प्रारंभिक नियुक्ति नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किया गया था। वर्ष 1999 में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाय जिसके उपरांत इनके वेतनमान में वृद्धि किया जाना था। किन्हीं कारणों से मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कुछ शिक्षकों को एक वर्षीय प्रशिक्षण में देर से भेजा गया जिस कारण उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान करने में विलम्ब हुआ था। यह बात एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 में पारित न्यायादेश दिनांक-27.09.2016 से स्पष्ट है। इन वादीगणों को विलम्ब से वर्ष 2007-2009 तथा 2008-2010 में प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया गया था जिसके कारण इनका प्रशिक्षण 2010 एवं 2011 में पूर्ण हो पाया। सामान्यतः प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने पर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाना था परन्तु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा उक्त वर्णित प्रशिक्षण कार्यक्रम पर खेद जताया गया था जिसके उपरांत दिनांक-01.07.2011 को यह निर्णय लिया गया कि सभी डी.पी.ई. प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को छः माह का विशेष समृद्ध कोर्स कराया जाय।

6. माननीय न्यायालय द्वारा न्यायादेश दिनांक-27.09.2016 में यह बात अंकित की गई कि संबंधित वादीगण को विलंब से वर्ष 2014 में छः माह का विशेष संवर्द्धन कोर्स कराया गया जिस कारण उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान करने में और भी विलंब हुआ जिसमें संबंधित वादीगणों का कोई दोष नहीं था। अंततः इन वादीगणों को वर्ष 2014 में प्रशिक्षित वेतनमान दिया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा यह बात भी विशेष तौर पर अंकित की गई कि इन वादीगणों का कोई दोष न होने के कारण नियमावली 2011 के प्रावधानों के अनुरूप वरीयता का भी नुकसान हुआ। ऐसी परिस्थिति में संबंधित वादीगणों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सरकार द्वारा किये गये विलंब के आधार पर इन वादीगणों के मामले में डी.पी.ई. प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान दिये जाने के आशय का न्यायादेश पारित किया गया था। यह न्यायादेश केवल संबंधित वादीगणों के विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर पारित किया गया था तथा यह आदेश सामान्य रूप से सभी मामलों में लागू नहीं होता है।

7. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद के वादीगण का नियोजन वर्ष 2013, 2014 एवं 2016 में बी.एड. अप्रशिक्षित पंचायत शिक्षक के रूप में किया गया था तथा नियुक्ति के उपरांत इन्हें अप्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान दिया जा रहा था। बी.एड. अर्हता होने के पश्चात् वादी की नियुक्ति कक्षा 1 से 5 के शिक्षक के रूप में NCTE की अधिसूचना दिनांक-23.08.2010 के आलोक में की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधानित था कि बी.एड. योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त छः माह का विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। उक्त अधिसूचना दिनांक-23.08.2010 को NCTE की अधिसूचना दिनांक-28.06.2018 द्वारा संशोधित किया गया परन्तु बी.एड.

B

↓


योग्यताधारी शिक्षकों को छः माह का सेतु पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से पूरा किये जाने का शर्त निर्धारित किया गया था।

8. NCTE द्वारा किये गये प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि बी.एड. योग्यताधारी शिक्षकों को कक्षा 1 से 5 में नियुक्त किये जाने के क्रम में उन्हें छः माह का विशेष सेतु पाठ्यक्रम पूरा किया जाना आवश्यक है तथा NCTE की यह मंशा नहीं थी कि बी.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थी केवल बी.एड. योग्यता के आधार पर ही कक्षा 1 से 5 में पठन-पाठन हेतु नियुक्त किये जाय। बी.एड. को डी.पी.ई. अथवा डी.एल.एड. के समरूप घोषित नहीं किया गया था। नियमावली 2012 में यह कहीं भी प्रावधानित नहीं है कि छः माह का संवर्द्धन कोर्स कर लेने के उपरांत संबंधित बी.एड. योग्यताधारी कक्षा 1 से 5 के शिक्षक को नियुक्ति की तिथि अथवा बी.एड. योग्यता प्राप्त करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाय।

9. वादीगण के मामले में विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वादीगण का दावा प्रशिक्षणचर्या कार्यक्रम में विभाग द्वारा नामांकित कराये जाने के क्रम में हुए विलंब के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा कोई विलंब परिलक्षित भी नहीं होता है। वादी द्वारा उनके समरूप किसी कनीय शिक्षक को उनके पूर्व प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान किये जाने का कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। वादी द्वारा उनका मामला एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 के वादीगणों के समरूप होने का दावा किया गया जो कि आधार विहीन है। एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 में पारित आदेश विशेष परिस्थिति में केवल संबंधित वादीगणों के मामले में लागू होता है न कि अन्य मामलों में।

10. उक्त परिप्रेक्ष्य में वादी का मामला एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 के सदृश्य नहीं है तथा वादी का मामला एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 के विशेष परिस्थिति में दिये गये निर्देश या लाभ से आच्छादित नहीं होता है। साथ ही सी०डब्लू०जे०सी० सं०-9416/2019 में दिनांक-04.03.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक-1790 दिनांक-16.10.2024 को पुनरीक्षित करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक-1017 दिनांक-12.03.2026 द्वारा वादी के दावा को अस्वीकृत किया गया है।

अतएव उक्त अभिमत के साथ प्रस्तुत वाद के वादीगण के दावे को अस्वीकृत किया जाता है।


(विक्रम बिस्कर)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

पटना, दिनांक:- 24.03.26...

ज्ञापांक:-07/मु0-01-52/2026.....1142.....


प्रतिलिपि:- 1. Tarique Nadeem Khushter Son of Md. Waiz Ahmad, Resident of Village- Alinagar, P.S- Saharsa, District- Saharsa, Bihar, Presently posted as Exclusive Teacher in New Primary School Gulam Rasul Tola, District- Saharsa, Bihar.

2. Sarfaraz Alam, Son of Md. Mahboob Alam, Resident of Village- Rajanpur, P.S- Mahishi, District- Saharsa, Bihar, Presently posted as Exclusive Teacher in Primary Maktab Islamia Ghordaur Banma Ithari, District- Saharsa, Bihar.

3. Md. Saba Karim, Son of Md. Sifay Tullah, Resident of Village- Chakamaka, P.S- Bakhtiyarpur, District- Saharsa, Bihar, Presently posted as School Teacher in Primary School Maktab Ghordaur Banma Itahari, District- Saharsa, Bihar.



4. Md. Sibghatullah, Son of Md. Ayub, Resident of Village- Piparpanti, P.S- Mahishi, District- Saharsa, Bihar, Presently posted as Exclusive Teacher in Primary School Baghwa, District- Saharsa, Bihar.
5. Md. Ismatullah, Son of Md. Ilias, Resident of Village- Bhelahi, P.S- Mahishi, District- Saharsa, Bihar, Presently posted as Exclusive Teacher in Middle School Baliya Simar, District- Saharsa, Bihar.
6. Manish Kumar Khan, Son of Shyam Sundar Khan, Resident of Village- Bangaon, P.S- Bangaon, District- Saharsa, Bihar, Presently posted as Exclusive Teacher in Ugratara Middle School Mahishi, District- Saharsa, Bihar.
7. Mir Phiroj Alam, Son of Mir Rahman, Resident of Village- Rajanpur, PS- Mahishi, District- Saharsa, Bihar, Presently posted as Exclusive Teacher in Middle School Rajanpur, District- Saharsa, Bihar.
8. Priti Kumari, Daughter of Surya Narayan Yadav, Resident of Village- Kayasthtola, P.S- Saharsa, District- Saharsa, Bihar, Presently posted as Exclusive Teacher in New Primary School Mandir Tola Chharapatti Maheshpur, District- Saharsa, Bihar.
9. Md. Mumtaj Alam, Son of Md. Shami Ahamad, Resident of Village- Rupnagar, P.S- Saharsa, District- Saharsa, Bihar, Presently posted as Exclusive Teacher in Urdu Primary School Sulindabad, District- Saharsa, Bihar.
10. Satyabhama Kumari, Daughter of Satyanarayan Choudhary, Resident of Village- Auria Ramauti (Diwra), P.S- Nawhatta, District- Saharsa, Bihar, Presently posted as Head Teacher in Primary School Patori (Boys), District- Saharsa, Bihar को सूचनार्थ प्रेषित।
11. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
12. जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।